जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/69 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 29 अप्रैल 2021

भाग-1

शांति धारीवाल साहब,क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है??
क्या आपको लगता है कि यह अवैध निर्माणकर्ता इस बिल्डिंग के अवैध निर्माण को खुद हटाएगा?

मिशन मास्टर प्लान

झूठे शपथ पत्र के आधार पर 180 दिन के लिए सील करने के बावजूद मात्र 90 दिन में भूखंड संख्या 5/7 मालवीय नगर के सामने,रामजीपुरा की सील खुलवाने का मामला!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

अवैध निर्माण • निगम में राजनीतिक दखल व बड़े अफसरों की कार्यशैली फिर विवादों में

बिल्डिंग 180 दिन के लिए थी सीज, दबाव आया तो दो महीने में ही खोला

सीज करते समय लिखा- बगैर मंजूरी और नक्शा पास कराए अवैध निर्माण किया, नोटिस की अनदेखी कर काम जारी रखा

सीज खोलते समय बोले- ऊपर के आदेश के तहत खोली है, प्रार्थी ने 90 दिन में खुद ही अवैध निर्माण हटाने को कहा है

सिटी रिपोर्टर | जयपुर

अवैध निर्माण पर सील खोलने की कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में है। नगर निगम की ओर से मालवीय नगर में अवैध निर्माण के चलते जिस मल्टीस्टोरी बिल्डिंग को 180 दिन यानी 6 महीने के लिए सीज किया था, उसको बगैर अवैध निर्माण हटाए 2 महीने में खोल दिया गया। सील करने के दौरान संबंधित अफसरों के तेवर थे कि संबंधित पार्टी ने बगैर मंजूरी और मानचित्र अनुमोदन कराए अवैध निर्माण किए, नोटिस के जवाब नहीं दिए और काम जारी रखा। ऐसे में कार्रवाई की गई है।

अब सीज खोलने के दौरान कह रहे हैं कि पार्टी ने 90 दिन में खुद ही अवैध निर्माण हटाने की बात कही है। मामले में राजनीतिक दखल और बड़े अफसरों के फरमान की बात कही जा रही है। बता दें कि मालवीय नगर में इससे पहले भी अवैध निर्माण के मामलों में विधायक कालीचरण सराफ और कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा में जमकर विवाद रह चुके हैं। काफी जुबानी जंग लग चुकी है।

नोटिस से बिल्डिंग को सील करने और फिर खोलने की कहानी

10 फरवरी 2021 : प्लॉट नं. 5/7 मालवीय नगर के सामने, रामजीपुरा को अवैध निर्माण के लिए सौंपे नोटिस में कहा कि 20 गुणा 60 फीट में आरसीसी के पिल्लर कास्ट कराते हुए ईंटों की दीवार के साथ चौथी मंजिल तक निर्माण कर लिया गया है। इसके लिए किसी सक्षम अधिकारी की मंजूरी नहीं ली गई। न ही मानचित्र अनुमोदन है। जोन द्वारा आपको नोटिस जारी किया था, जिसका संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। आरसीसी की छावण करवा ली गई और निरंतर काम जारी है।

18 फरवरी : कार्रवाई कर बिल्डिंग को 180 दिन के लिए सीज किया।

25 मार्च : निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्थानीय निकाय विभाग ने आदेश जारी किया कि अपीलार्थी की मौजूदगी में मौका निरीक्षण करें और प्राप्त तथ्यों के आधार पर गुणावगुण को देख 'युक्तियुक्त आदेश' 15 दिन में पारित करें।

31 मार्चः संबंधित सीताराम शर्मा ने सीज खुलवाने का आवेदन किया।

12 अप्रैलः और खुल गई सील।

डीएलबी के ऑर्डर के तहत सील खोली है। संबंधित पार्टी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 90 दिन का शपथ पत्र दिया है। (लेकिन हर मामले में हटाकर ही सील खोली जानी चाहिए? क्या नहीं हटाए तो फिर से सील करेंगे?) नियम तो यही है।
- सुरेश चौधरी, संबंधित उपायुक्त, नगर निगम

सरकार ने सील करने के आदेश निगम को और खोलने के अधिकार डीएलबी को दे दिए हैं। यह आदेश ही गलत है, जिसके लिए मंत्री को लिखकर संशोधन की बात कह रहे हैं। इसी आदेश के तहत सील खोली गई है। मसला अवैध निर्माण रोकने का है, बगैर अवैध निर्माण हटे सील खुलेगी तो कैसे सख्ती होगी।
- सौम्या गुर्जर, मेयर

मामले पर अंतिम निर्णय संबंधित उपायुक्त को करना है। सील खोलने का मसला मंत्री स्तर पर जाता है। फाइल पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय की बात कही जाती है, लेकिन लगता है कि मौके पर अवैध निर्माण ज्यादा है और नियमानुसार सील खोलना उचित नहीं है तो संबंधित अफसर यह बात लिख कर लौटा सकते हैं।
-दीपक नंदी, निदेशक, डीएलबी

दिनांक 27/04/21 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर से साभार

नगर निगम ग्रेटर के मालवीय नगर ज़ोन में स्थित भूखंड संख्या 5/7 मालवीय नगर के सामने,रामजीपुरा का है मामला!

यह मामला नगर निगम ग्रेटर के मालवीय नगर ज़ोन में स्थित भूखंड संख्या 5/7 मालवीय नगर के सामने,रामजीपुरा का है जिसपर बिना मानचित्र अनुमोदन करवाए चार मंजिला अवैध काम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था|गौरतलब है कि इसके पास ही दो अन्य बिल्डिंगो 3/7 और 4/7 को भी सील किया गया था परन्तु इसके बावजूद पिक एंड चूज की निति के तहत अवैध निर्माणकर्ता के झूठे शपथ पत्र के आधार पर जिसमे उसने दावा किया कि वह अवैध निर्माण को अपने खर्चे पर हटा लेगा,इस अवैध निर्माण की सील 180 दिन की बजाय महज 90 दिन में ही खोल दी गयी|

विधानसभा में शहरी निकायों को लेकर दो विधेयक पारित

खोला ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियों का द्वार, अफसरों से छीना सील खोलने का अधिकार

जयपुर, रविवार, 21 मार्च, 2021

जेडीए सीमा में 131 और निगम में 150 से अधिक इमारतें सील

राजधानी की 281 इमारतों पर नए कानून का शिकंजा

3. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 90-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 90-क की विद्यमान उप-धारा (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, न्यास के आदेश की तारीख से 30 दिवस के भीतर-भीतर उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा और राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, या तो अपील को खारिज कर सकेगा या उस आदेश को सम्पूर्णत: या उसके किसी भाग को उलट सकेगा या उसमें फेरफार कर सकेगा।

(3) जहां किसी सुधार को सील कर दिया गया हो, वहां न्यास या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से, ऐसे विकास को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिए, उस सील को हटाये जाने का आदेश दे सकेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को-

(क) उप-धारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा; या

(ख) उप-धारा (3) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा,

के सिवाय नहीं हटायेगा।"।

राज्य सरकार ने राजस्थानविधियाँ (संशोधन) विधेयक 2021 में संशोधन कर सील हो चुकी अवैध बिल्डिंगों की सील नगरीय निकायों से छीन लिए है|

जवाब मांगते सवाल?

- ज़ोन कार्यालय द्वारा किन किन खामियों के तहत इस बिल्डिंग को सीज किया गया था?
- जब सील खोलने के लिए निदेशक,स्थानीय निकाय विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि अपीलार्थी की मौजूदगी में मौका निरिक्षण करे और प्राप्त तथ्यों के आधार पर गुणावगुण को देख " युक्तियुक्त आदेश" 15 दिन में पारित करें| उसके बावजूद किन तथ्यों के आधार पर ज़ोन उपायुक्त श्री सुरेश चौधरी द्वारा इस बिल्डिंग की सील खोली गयी?
- आदेश के अनुसार अपीलार्थी सीताराम शर्मा के साथ ज़ोन के किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मौका निरिक्षण किया गया था?
- जब निदेशक महोदय श्री दीपक नंदी यह कह रहे है कि मौके पर अवैध निर्माण ज्यादा है और नियमानुसार सील खोलना उचित नहीं है और अधिकारी यह बात लिख कर फाईल लौटा सकते है,उसके बावजूद ज़ोन उपायुक्त श्री सुरेश चौधरी ने इस पत्रावली को क्यों नहीं लौटाया?
- ज़ोन उपायुक्त श्री सुरेश चौधरी पर किस का दबाव था जो उन्होंने जानबूझ कर तमाम तथ्यों को नकारते हुए इस अवैध निर्माण की सील खोल दी?वाकई यह कोई दबाव था या फिर न्योछावर की माया?
- कितने रुपयों में निगम के अधिकारीयों ने अपना ईमान बेचा इस अवैध निर्माण की सील खोलने में?
- यदि अवैध निर्माणकर्ता द्वारा झूठे शपथपत्र के आधार पर इस अवैध बिल्डिंग की सील खुलवाई है तो क्या 90 दिन के बाद इस अवैध निर्माण को पुनः सील किया जाएगा?
- क्या झूठा शपथपत्र देने के विरुद्ध ज़ोन के जिम्मेदार अधिकारी श्री सुरेश चौधरी अवैध निर्माणकर्ता श्री सीताराम शर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाएंगे?
- सबसे बड़ा सवाल कि जब राज्य सरकार द्वारा कानून पास कर सील खोलने के अधिकार निकायों से वापस ले लिए है तो उसके बावजूद इस पत्रावली को राज्य सरकार के पास क्यों नहीं भेजा गया?
- इस ईलाके में में इस बिल्डिंग के अलावा और कितने अवैध निर्माण है,जिन्हें सील किया गया?इनमे से कितनों की सील अब तक खोली जा चुकी है?इस बिल्डिंग के साथ बन रही अन्य बिल्डिंगों की मौजूदा स्थिति क्या है?